

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 19/08/19

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 07 अदद आहर/ बाँध/मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रूपये 252.892 लाख (रूपये दो करोड़ बावन लाख नवासी हजार दो सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या-77/2017-18, दिनांक -12.02.2018; Online AA- 2162, Dated- 13.02.2018  
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य  विपत्र कोड- 50S470200101200545	252.892
आवंटित राशि - रु. दो करोड़ बावन लाख नवासी हजार दो सौ मात्र।				


- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध राशि रु. 12600.00 लाख (एक सौ छब्बीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव

10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-13 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(अरुण कुमार सिंह) 18.8.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 92

राँची, दिनांक :- 19/08/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/गिरिडीह/रामगढ़ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(अरुण कुमार सिंह) 18.8.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 92

राँची, दिनांक :- 19/08/19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव

  
(अरुण कुमार सिंह) 18.8.19  
अपर मुख्य सचिव



विभागीय पत्रांक ..... 92

दिनांक ..... 19/08/15

का अनुलनक परिशिष्ट -1

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय  
लघु शीर्ष-101-सतही जल,  
उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्मोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,  
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण  
बजट उपबंध (2019-20) - 12600.00 लाख  
विपत्र कोड- 50S470200101200545

(राशि लाख में)

क्र०	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकराशि राशि	मार्च 2019 तक व्यय	वर्ष 2019-20 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					राशि	प्रसंग	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ल०सि०प्र० समानाह (RGHMR012)	हजारीबाग	विष्णुगढ़	अलपिलो बड़की तालाब मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	133.708	77/2017-18 dt 12.02.2018	2162 dt 13.02.18	122.152	5.502	10.000	50.000	60.000	65.502	53118	
2			टाटी झरिया	जोभी आहर का जीर्णोद्धार	23.435			19.647	7.968	10.000	2.000	12.000	19.968		
3			विष्णुगढ़	अलकोपी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	70.192			61.576	0.000	0.000	50.000	50.000	50.000		
4			गोला	बहनीजरा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	54.950			47.372	6.099	0.000	41.500	41.500	47.599		
5	समानाह	समानाह	माण्डू	नेवाड़ी आहर का जीर्णोद्धार	43.414	77/2017-18 dt 12.02.2018	2162 dt 13.02.18	34.602	0.000	10.000	25.000	35.000	35.000	53119	
				कुल	325.699			285.349	19.569	30.000	168.500	198.500	218.069		
6			गाण्डेय	मेरखीगुण्डी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	81.607			72.216	35.000	0.000	37.216	37.216	72.216		
7			पीरटाँड़	खरपोका मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	50.299			47.176	0.000	0.000	47.176	47.176	47.176		
	ल०सि०प्र० गिरिडीह (GRDMIR001)	गिरिडीह		कुल	131.906			119.392	35.000	0.000	84.392	84.392	119.392		
				सकल योग :-	457.605			404.741	54.569	30.000	252.892	282.892	337.461		

(सत्येन्द्र नारायण उपध्याय)  
संयुक्त सचिव

(अरुण कुमार सिंह) 19.8.15  
अपर मुख्य सचिव